# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 95/18 GCMS NO 2018/00236

रामभरोसी पुत्र रामधन जाति मीना निवासी मान्नौज तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. माध्यमिक आदर्श विधा मंदिर टोडाभीम , नया बस स्टेड टोडाभीम जिला करौली जरिये अध्यक्ष /प्रधानाध्यापक
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली
3. सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 45/16 निर्णय व डिकी दिनांक 29.6.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम) )

अभिभाषक अपीला0 श्री हंसराम गुर्जर

अभिभाषक रेस्पो0 श्री सुनील कुमार जिंदल

दिनांक 13.01.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 29.6.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक वाद इस्तकरार हक (घोषणा खातेदारी) वं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0नं0 347 रकबा 19 ऐयर, 349/949 रकबा 6 ऐयर, 432/1 रकबा 21 ऐयर, 443 रकबा 32 ऐयर, 449 रकबा 33 ऐयर, 484 रकबा 42 ऐयर स्थित ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसका वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है तथा आराजी ख0न0 431 तथा 443 वादी की खातेदारी की जमीन घरू बंटवारे मे ख0न0 443 का भाग वादी के कब्जे मे है तथा ख0न0 431 एवं 443 के बीच मे ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर जो वादी की कब्जे की भूमि है। जिसको वादी 40 साल से काश्त करता चला आ रहा है। जिसका अंकर खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 मे है। इसलिए वादी उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है। ख0न0 441 राजकीय बालिका छात्रावास की जमीन होने के कारण वादी की खातेदारी की भूमि ख0न0 444 को तहसीलदार से साज कर प्रतिवादी न0 1 के नाम अलोट कराना चाहते है। इस प्रकार आराजी ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:06 IST
Reason: Self Attested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रिकार्ड के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। ख0न0 347 रकबा 19 ऐयर, 349/949 रकबा 6 ऐयर, 432/1 रकबा 21 ऐयर, 443 रकबा 32 ऐयर, 449 रकबा 33 ऐयर, 484 रकबा 42 ऐयर स्थित ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसका अपीलांट तन्हा खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0न0 431 व 443 अपीलांट की खातेदारी की जमीन है। घरू बंटवारे मे ख0न0 443 का भाग अपीलांट के कब्जे काश्त मे है। इस प्रकार ख0न0 431 व 443 के बीच मे ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर भी अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजी है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर कृषि योग्य भूमि है। जिसको अपीलांट 40 साल से काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण यह भूमि ख0न0 444 अपीलांट के हिस्से मे आई है। जिसकी पेनल्टी भी अपीलांट प्रतिवर्ष तहसील मे जमा करता चला आ रहा है। जिसके कारण उक्त भूमि की गिरदावरी भी अपीलांट के नाम लगातार चली आ रही है। इस प्रकार भूमि ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर पर अपीलांट का स्थाई कब्जा होने के कारण उक्त जमीन की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। इस प्रकार ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर का खातेदार घोषित फरमाया जावे। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। ख0न0 441 राजकीय बालिका छात्रावास (भवन निर्माण आवंटन) की जमीन होने के कारण एवं पास मे उक्त जमीन को देखकर ख0न0 444 को तहसीलदार से साज कर रेस्पो0 संख्या 1 स्कूल के नाम करवाना चाहते है। जो गलत है। ख0न0 444 पर अपीलांट के अलावा अन्य किसी का कोई अधिकार नही है। अपीलांट का लम्बे समय से उक्त भूमि पर कब्जा होने के कारण उक्त आराजी अपीलांट के नाम किया जाना न्याय संगत है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चोरी छुपे उक्त आराजी को अलोट करवा सकता है। जो गलत है। क्योकि उक्त आराजीयात से रेस्पो0 संख्या 1 का कोई संबंध वास्ता नही रहा है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। उक्त आराजीयात काबिल काश्त नही थी जिसे अपीलांट द्वारा काफी पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम कराने हेतु रेस्पो0 संख्या 2 तहसीलदार से निवेदन किया गया एवं आराजीयात को रेगूलाईज करने मे जो भी खर्चा हो उसे अपीलांट बहन करने को तैयार है। जिसकी प्रार्थना तहसीलदार से अपीलांट द्वारा की गई। जिस पर तहसीलदार ने किसी बात को नही माना । इस प्रकार यदि भूमि अन्य किसी की खातेदारी मे दर्ज हो गई तो अपीलांट को पूर्णनीय क्षति होगी तथा परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। अपीलांट द्वारा काफी मिन्नते की गई। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अत:अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर भूमि ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर वाके ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम जिला करौली का अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा [illegible] पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 444 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे दखल नही करे , आराजी से अपीलांट को बेदखल [illegible] करे तथा ऐसा कोई कार्य नही करे ना अन्य से करावे जिससे हकूक अपीलांट विपरीत प्रभाव [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 के अधिवक्ता बहस मे तर्क दिया कि विवादित भूमि ख0न0 434,435,436,441,442,444 जिसका साबिक ख0न0 181 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 183/2 रकबा 1 बीघा 15 विवा की पूर्व मे खातेदारी मु0सारा बेवा पन्ना मीना निवासी महेन्द्रवाडा द्वारा दिनांक 21.6.91 को सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार के हित मे भारतीय शिक्षा समिति गंगापुर रजि0 शाखा आदर्श विधा मंदिर टोडाभीम रेस्पो0संख्या 1 विधालय निर्माण एवं खेल मैदान बनाने के लिए समर्पित की गई थी। जिस बाबत रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 4.5.91 को एक इकरारनामा 5 रूपये के स्टाम्प पर खातेदार सारा बेवा पन्ना द्वारा तहरीर व तकमील किया गया। चूकिः भूमि मीना जाति की होने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज नही हो सकती। इसलिए खातेदार सारा देवी द्वारा दिनांक 21.6.91 को भूमि को राज्य सरकार के हित मे रेस्पो0 संख्या 1 के विधालय भवन व खेल मैदान बनाने के लिए समर्पण किया गया। इसलिए उक्त भूमि ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर पर वादी/अपीलांट का कब्जा नही है। विवादित भूमि ख0न0 444 सिवायचक भूमि है जिस पर आदर्श विधा मंदिर के नाम आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया हुआ है। वादी/अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। राज्य सरकार की भूमि की खातेदारी का दावा पेश करने से पूर्व वादी/अपीलांट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना चाहिए था। जो उनके द्वारा नही दिया जाकर सीधे ही दावा पेश किया गया था। उक्त भूमि का खातेदार द्वारा राज्य सरकार के हित मे सर्मपण किया जा चुका है। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांट को दिया जाना संभव नही है। अपीलांट द्वारा कब्जे के बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया है। उक्त भूमि का सर्मपण राज्य सरकार के हित मे खातेदार द्वारा किये जाने के फलस्वरूप भूमि सिवायचक दर्ज हो चुकी है। जिसका नामा0 संख्या 28 भी खोला जा चुका है। अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत दावा आवंटन की कार्यवाही को बाधित करने के उद्वेश्य से पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप रेस्पो0/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का विधिक रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिक रूप से सही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात ख0न0 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी केवल मात्र कब्जे के आधार पर चाही गई। कब्जे के बाबत केवल मात्र खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 की प्रति पेश की है। वादी/अपीलांट द्वारा जिस आराजीयात की खातेदारी के लिए वाद पेश किया गया था वह भूमि सिवायचक दर्ज है। जिसके विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व नियमानुसार 80 सीपीसी के तहत नोटिस जारी किया जाना था। जो अपीलांट/वादी द्वारा नही किया गया है। अपीलांट/वादी द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही जबकि वर्तमान मे एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baldi
Date: 2025.03.27 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी/अपीलाट का वाद पत्र विधि अनुरूप खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने सें अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 45/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.6.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested